समस्या | ग्रामीणों ने कलेक्टर से की जांच के साथ त्वारित कार्यवाही की मांग

रिहायशी क्षेत्र में राइस मिल, फैल रहा प्रदूषण

जमुना कोतमा,नवभारत, 17 फरवरी। जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत छोहरी में संचालित आदिवासी राइस मिल से फैल रहे धूल-डस्ट और प्रदूषण को लेकर ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने कलेक्टर अनूपपुर को लिखित शिकायत सौंपकर आरोप लगाया है कि राइस मिल का संचालन नियमों और पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी करते हुए रिहायशी क्षेत्र में किया जा रहा है, जिससे गांव के लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है और स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।

ग्रामीणों के अनुसार राइस मिल से निकलने वाली धूल और भूसी खुले में उड़ती रहती है, जिससे पूरे मोहल्ले में प्रदूषण फैल जाता है। मिल के संचालन के दौरान उड़ने वाली धूल घरों के अंदर तक पहुंच जाती है, जिससे लोगों को स्वच्छ हवा तक नसीब नहीं हो रही है। विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानी, एलर्जी और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि मिल के संचालन के समय वातावरण में धूल का गुबार छा जाता है और कई बार मोहल्ले में अंधेरा जैसा माहौल बन जाता है, जिससे लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो जाता है।

इस संबंध में ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत करने वालों में मान सिंह (पूर्व सरपंच), राम सिंह (पूर्व पंच), सोनू कुमार, इंद्रेश कुमार, जीवन दास (पंच), सूदन, भोगी लाल, धनीराम, शंकर दास (पूर्व पंच), विक्रम दास, अशोक कुमार, लल्लू सिंह (पंच), थानू, नारायण सिंह एवं राज कुमार शामिल हैं। इन ग्रामीणों ने प्रशासन को अवगत कराया कि राइस मिल का संचालन बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों और नियमों के पालन के किया जा रहा है, जिससे गांव का वातावरण लगातार प्रदूषित हो रहा है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि राइस मिल संचालन के दौरान निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है और प्रदूषण नियंत्रण के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या रिहायशी क्षेत्र में इस प्रकार का औद्योगिक कार्य बिना पर्यावरणीय मानकों और अनुमति के किया जाना उचित है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

जरूरी मानकों के अनुरूप हो संचालन

ग्रामीणों ने कलेक्टर से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि राइस मिल का संचालन नियमों के विरुद्ध पाया जाता है तो उसे तत्काल बंद कराया जाए या आवश्यक मानकों के अनुरूप संचालित करने के निर्देश दिए जाएं। साथ ही दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ग्रामीणों को प्रदूषण से राहत मिल सके और गांव में स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित हो सके। ग्रामीणों को अब प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है

इनका कहना है

ग्राम पंचायत छोहरी र में बिना नियमों का पालन किया सरपंच केदार सिंह द्वारा आदिवासी राइस मिल का संचालन किया जा रहा है तो आप उनका नंबर हमें दीजिए हम उनसे बात करके सारे नियमों का पालन करवाते हैं फिर भी अगर नहीं करते हैं तो हम उन पर नियम अनुसार कार्यवाही करेंगे

श्रेयस पांडे
संभागीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी शहडोल

साइबर ठगी के शिकार युवक को मिली राहत

पुलिस ने 80,899 की पूरी राशि कराई वापस

अनूपपुर, नवभारत17 फरवरी। साइबर अपराध के एक मामले में थाना रामनगर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पीड़ित युवक को बड़ी राहत दिलाई है। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पुलिस ने फ्रीज की गई 100 प्रतिशत राशि 80 हजार 899 आवेदक को सुपुर्द कर दी।

जानकारी के अनुसार आवेदक रोहित कुमार रवि 21 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 12 झीमर थाना रामनगर ने 18 दिसंबर को अपने साथ हुए साइबर फ्रॉड की लिखित शिकायत थाना रामनगर में दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला साइबर एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। जांच के दौरान थाना रामनगर पुलिस ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 106 के अंतर्गत 80 हजार 899 की राशि होल्ड जप्त की। आवेदक के सेंट्रल बैंक ऑफइंडिया शाखा पौराधार स्थित खाते की ट्रांजेक्शन स्टेटस रिपोर्ट प्राप्त कर विधिवत परीक्षण किया गया। बाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोतमा द्वारा पारित आदेश के तहत पुलिस ने जप्त की गई पूरी राशि 80,899 पीड़ित को सुपुर्द कर दी।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान के निर्देशन में थाना प्रभारी रामनगर, प्रधान आरक्षक राहुल प्रजापति, आरक्षक पंकज मिश्रा और साइबर सेल प्रभारी प्रधान आरक्षक अनूपपुर की इसमें सराहनीय भूमिका रही।

पीएम आवास निर्माण में हितग्राहियों को जारी होगा शोकॉज नोटिस

जिला पंचायत सीईओ ने समीक्षा बैठक में दिए सख्त निर्देश

अनूपपुर, नवभारत17 फरवरी। जिला पंचायत सीईओ अर्चना कुमारी ने जिला पंचायत सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री आवास एवं जनमन आवास के हितग्राहियों से जुड़े भूमि, बैंक, नामिनी आदि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए।

समीक्षा बैठक में जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी के.के. सोनी, परियोजना अधिकारी आवास डॉ. उमेश द्विवेदी, सहायक परियोजना अधिकारी शिकायत शोभा मर्सकोले सहित विकासखंड आवास समन्वयक एवं पीसीओ उपस्थित रहे।

बैठक में सीईओ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन हितग्राहियों ने आवास निर्माण की राशि की किस्त प्राप्त करने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है, उनसे राशि वापस लेने की कार्रवाई की जाए। साथ ही आवास निर्माण में धीमी प्रगति, शिथिलता या लापरवाही बरतने वाले हितग्राहियों को शोकॉज नोटिस जारी कर उसकी तामिली सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने पंचायत एवं आवास समन्वय अधिकारियों को हितग्राहियों से सतत संपर्क बनाए रखने और निर्माण कार्य की प्रगति सुनिश्चित कर समय पर लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

जिला जल अभावग्रस्त घोषित, बिना अनुमति बोरिंग खनन पूर्ण प्रतिबंधित

अनूपपुर, नवभारत 17 फरवरी। कलेक्टर हर्षल पंचोली ने जिले में गिरते जलस्तर को देखते हुए संपूर्ण अनूपपुर जिले को जल अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार वर्तमान एवं आगामी ग्रीष्म ऋतु में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। कलेक्टर द्वारा मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत अनूपपुर, कोतमा, जैतहरी एवं पुष्पराजगढ़ तहसीलों में कुओं और नलकूपों के जलस्तर में भारी गिरावट को देखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है। आदेश के तहत अब कलेक्टर कार्यालय की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति नदी, बांध, जलधारा या जलाशय जैसे स्रोतों से सिंचाई या औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल का उपयोग नहीं कर सकेगा।

57 दिनों से आतंक मचा रहे तीन हाथी

रात में घर तोड़ा, बाल-बाल बचे ग्रामीण परिवार

अनूपपुर, नवभारत17 फरवरी। अनूपपुर जिले में पिछले 57 दिनों से विचरण कर रहे तीन हाथियों का समूह ग्रामीणों के लिए लगातार भय और परेशानी का कारण बना हुआ है। ये हाथी दिन में जंगलों में ठहरते हैं और शाम-रात होते ही गांवों की ओर निकलकर घरों में तोड़फोड़ तथा खेतों में लगी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथियों के कारण एक दर्जन से अधिक गांवों के लोग दहशत में हैं। रविवार-सोमवार की मध्यरात्रि हाथियों का दल अचानक जैतहरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुकुरगोंड़ा के वार्ड क्रमांक-1 बेल्हाटोला पहुंच गया। यहां निवासी रामेश्वर पिता लाल सिंह के कच्चे मकान की दीवार तोड़कर हाथी अंदर घुस गए और घर में रखे सामान को नुकसान पहुंचाया। घर में मौजूद परिवार के दो पुरुष, दो महिलाएं और बच्चे घबराकर किसी तरह बाहर भागे और सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर अपनी जान बचाई।

सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने मशाल जलाकर और शोर मचाकर रातभर हाथियों को भगाने का प्रयास किया। इस दौरान हाथियों ने आसपास के सात किसानों के खेतों में लगी चना, मटरी, अलसी सहित अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। सोमवार सुबह तीनों हाथी धनगवां बीट के डोकरी पटौरा और बघमढिया के जंगल में जाकर ठहर गए।

सैकड़ों किसानों की फसलें नष्ट की

बताया जाता है कि 23 दिसंबर की रात यह हाथी छत्तीसगढ़ सीमा पार कर जैतहरी क्षेत्र में पहुंचे थे और तब से लगातार गांव-गांव घूमकर नुकसान कर रहे हैं। अब तक हाथियों के हमले में दो बुजुर्गों की मौत हो चुकी है तथा सैकड़ों किसानों की फसलें और संपत्तियां प्रभावित हुई हैं। वन विभाग और ग्रामीण लगातार हाथियों को जिले से बाहर खदेड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। वहीं जिले में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण नुकसान का सर्वेक्षण और मुआवजा वितरण भी लंबित है, जिससे प्रभावित ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ रही है।

कलेक्टर ने 15 हजार की आर्थिक सहायता मंजूर की

अनूपपुर, नवभारत17 फरवरी। जिले में जरूरतमंदों की सहायता के तहत कलेक्टर हर्षल पंचोली ने उपचार के लिए आर्थिक मदद प्रदान करने की मंजूरी दी है। कलेक्टर ने वार्ड क्रमांक 10 पौराधार कॉलोनी भलमुड़ी राजनगर कालरी अनूपपुर निवासी सम्पत पति रामलखन को इलाज हेतु मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत 15 हजार रुपये की सहायता राशि के आहरण एवं वितरण की अनुमति प्रदान की है। यह सहायता राशि उनके उपचार में सहयोग के उद्देश्य से स्वीकृत की गई है, जिससे उन्हें समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को राशि के शीघ्र आहरण और वितरण के निर्देश भी दिए हैं।

10वीं बोर्ड अंग्रेजी परीक्षा में 7,704 परीक्षार्थी हुए शामिल, 187 रहे अनुपस्थित

अनूपपुर, नवभारत 17 फरवरी। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) की अंग्रेजी विषय की परीक्षा जिले में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा के लिए पंजीकृत 7,891 परीक्षार्थियों में से 7,704 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 187 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। जिले में परीक्षा के सुचारू संचालन हेतु कुल 59 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा के दौरान कहीं से भी नकल प्रकरण सामने नहीं आया और पूरी परीक्षा निर्विघ्न संपन्न हुई। जिला शिक्षा अधिकारी अनूपपुर ने जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा व्यवस्था के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए थे तथा परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा एवं निगरानी के पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित किए गए थे।

अज्ञात युवक की पहचान नहीं होने पर किया अंतिम संस्कार

अनूपपुर, नवभारत17 फरवरी। नगर के वार्ड क्रमांक 9 स्थित बब्बा कॉलोनी में 11 फरवरी को मृत अवस्था में मिले एक अज्ञात युवक का आखिरकार अंतिम संस्कार कर दिया गया। युवक की उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है। उसकी मृत्यु किन कारणों से हुई, यह स्पष्ट नहीं हो सका है। जानकारी के अनुसार घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक पंचनामा कार्रवाई करते हुए शव को जिला चिकित्सालय अनूपपुर के शव परीक्षण कक्ष में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद पुलिस ने विभिन्न माध्यमों से मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन पांच दिन बीत जाने के बावजूद उसकी पहचान नहीं हो सकी। पहचान नहीं होने की स्थिति में पुलिस ने ड्यूटी डॉक्टर डॉ. दिनेश बघेल से पोस्टमार्टम कराकर नगर पालिका अनूपपुर के सहयोग से मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। इस दौरान कोतवाली के सहायक उप निरीक्षक सतानंद रावत के साथ सामाजिक कार्यकर्ता शशिधर अग्रवाल, मूलचंद सिंह, अजय, रामप्रसाद कोल एवं गगन सिंह उपस्थित रहे।

जनसुनवाई में कलेक्टर ने 63 आवेदकों की सुनी समस्याएं

अनूपपुर, नवभारत17 फरवरी। जिला स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम मंगलवार को कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में आयोजित किया गया। जनसुनवाई में कलेक्टर हर्षल पंचोली ने 63 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में अपर कलेक्टर दिलीप कुमार पाण्डेय, डिप्टी कलेक्टर प्राशी अग्रवाल, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे और उन्होंने आवेदकों की समस्याएं सुनीं।

जनसुनवाई के दौरान विभिन्न प्रकार की समस्याएं सामने आईं। तहसील कोतमा के ग्राम कटकोना निवासी दिव्यांग सूरज नामदेव ने मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दिलाए जाने की मांग की। वहीं तहसील पुष्पराजगढ़ के ग्राम नोनघटी की सोनमती ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ दिलाने हेतु आवेदन दिया। इसी तरह बदरा निवासी शेषनाथ पासवान ने उपचार के लिए आर्थिक सहायता की मांग की, जबकि बरबसपुर निवासी नत्ती बाई ने हाथियों द्वारा मकान क्षति पर मुआवजा दिलाने का आवेदन प्रस्तुत किया। ग्राम जर्राटोला की नानबाई बैगा ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का लाभ दिलाने तथा जैतहरी निवासी दिव्यांग सचिन कुमार सोनी ने दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए जाने की मांग रखी।

जबलपुर होकर चलेगी पुणे दानापुर स्पेशल

जबलपुर, नवभारत। रेलवे द्वारा आगामी त्यौहारों होली पर यात्रियों की सुविधा हेतु एवं उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से विभिन्न गंतव्यों के लिए विशेष किराये पर स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में मध्य रेल से प्रारम्भ/टर्मिनेट होने वाली स्पेशल ट्रेन स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 01481 पुणे से दानापुर स्पेशल ट्रेन यात्रा मांग पर 23 एवं 27 फरवरी एवं होली के अवसर पर 02 एवं 06 मार्च को पुणे स्टेशन से रात 19:55 बजे प्रस्थान कर अगले दिन इटारसी सुबह 11:15 बजे, जबलपुर दोपहर 15:30 बजे, कटनी 16:50 बजे, सतना सायं 18:50 बजे पहुँचकर मार्ग से होते हुए तीसरे दिन सुबह 08:00 बजे दानापुर स्टेशन पहुँचेगी।

कार्यालय कलेक्टर जिला अनूपपुर एवं पदेन उप सचिव (म.प्र.) शासन राजस्व विभाग

क्रमांक / 589514/ अनूपपुर थर्मल रेल कॉरिडोर/2026

-: अधिसूचना :-

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स अनूपपुर थर्मल एनर्जी (म.प्र.) प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जिला अनूपपुर (म.प्र.) अन्तर्गत तहसील कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.) के ग्राम उमरदा, मझटोलिया एवं छतई में 4×800 मेगावाट ताप विद्युत प्लांट की स्थापना किया जा रहा है। उक्त परियोजना के स्थापना एवं संचालन हेतु रेलवे लाइन कारिडोर का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए जिला अनूपपुर तहसील कोतमा, ग्राम कटकोना, बैहाटोला, मैनटोला, डोंगरियाखुर्द, भाटाडाड, कोरियाखुर्द, कोठी एवं तरसिली की 89.997 हे. निजी भूमियों का अर्जन करना चाहती है। उक्त हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन, भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-4 के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान में प्रचलित है।

म.प्र. भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2015 की धारा 8 के प्रावधान के तहत कलेक्टर जिला अनूपपुर द्वारा मेसर्स अनूपपुर थर्मल एनर्जी (म.प्र.) प्राइवेट लिमिटेड के जिला अनूपपुर, तहसील कोतमा अन्तर्गत रेलवे लाइन कारिडोर हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन के साथ संलग्न सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट एवं विशेषज्ञ समूह की अनुशंसा के अवलोकन पश्चात् स्पष्ट है कि प्रस्तावित परियोजना लोक प्रयोजन की पूर्ति करती है, परियोजना के संभाव्य फायदे, सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में अधिक है एवं प्रस्तावित भूमि न्यूनतम सीमा के अन्तर्गत है, जिससे क्रम में परियोजना की स्थापना कठिन होगी एवं यथा सम्भव न्यूनतम विस्थापन, अवसंरचना, परिस्थिति में कम से कम विघ्न तथा न्यूनतम प्रतिकूल समाघात सुनिश्चित होता है।

विशेषज्ञ समूह की समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की परिधि में है एवं परियोजना के लिए भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत वर्णित शर्तों को पूर्ण करता है। अतः विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट का अनुमोदन किया जाता है।

सामाजिक समाघात प्रतिवेदन रिपोर्ट, सामाजिक समाधात प्रबंधन योजना, विशेषज्ञ समूह की अनुशंसा सहित अनूपपुर जिले की वेबसाइट में अपलोड कर के प्रकाशित की जाये और ग्राम पंचायतों, उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा तहसीलदार के कार्यालयों को उपलब्ध कराई जाये।

कलेक्टर
एवं पदेन उपसचिव
जिला- अनूपपुर (म.प्र.)

कार्यक्रम | सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन संबंधी अधिकारों की दी गई विस्तृत जानकारी

वन अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण आयोजित

अनूपपुर, नवभारत17 फरवरी। मध्यप्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग, भोपाल के निर्देशानुसार वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट स्थित सोन सभागार में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से सामुदायिक वन अधिकारों तथा धारा 3(1)(प) के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन से संबंधित अधिकारों की मान्यता पर विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में मध्यप्रदेश जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय, भोपाल से आए मास्टर ट्रेनर्स कमल किशोर आर्मो, सार्थक त्यागी, सत्यशोभन दास एवं लखन मरावी द्वारा प्रतिभागियों को अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी प्रदान की गई। यह प्रशिक्षण उपखंड स्तरीय वन अधिकार समितियों के शासकीय एवं अशासकीय सदस्यों की क्षमता संवर्धन (कैपेसिटी बिल्डिंग) के उद्देश्य से आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि ग्राम सभाओं द्वारा गठित वन अधिकार समितियों एवं वन प्रबंधन समितियों की भूमिका सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतिभागियों को यह भी समझाया गया कि ग्राम सभाओं को प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप वन संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं पुनर्जीवन किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है। साथ ही औषधीय पौधों, लघु वनोपज, गोंद उत्पाद एवं बांस के संरक्षण, संवर्धन तथा विपणन की प्रक्रिया पर भी विस्तारपूर्वक मार्गदर्शन दिया गया।

संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे

कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अर्चना कुमारी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पुष्पराजगढ़ वसीम अहमद भट्ट, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनूपपुर कमलेश पुरी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोतमा टी.आर. नाग, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जैतहरी सतीश वर्मा, जिला पंचायत सदस्य रंजीत सर्राटी, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सरिता नायक सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।